मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०२४

मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

धारा ४३क का संशोधन.

२. नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ४३क में, उपधारा (१) में,-

(क) प्रारंभिक पैरा में, शब्द "दो तिहाई" के स्थान पर, शब्द "तीन चौथाई" स्थापित किए जाएं.

(ख) परन्तुक के खण्ड (एक) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर, शब्द "तीन वर्ष" स्थापित किए जाएं.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (क्रमांक ४ सन् २०२४) एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

१. नगरपालिका और नगर परिषद् में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण है. अविश्वास प्रस्ताव के विद्यमान उपबंधों में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं, जिससे कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निष्पक्ष रूप से तथा बिना किसी दबाव के कार्य कर सकें. वर्तमान में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का उपबंध मात्र दो तिहाई बहुमत के आधार पर है, किन्तु वर्तमान उपबंध के संशोधन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचन पार्षदों के तीन चौथाई मतों के आधार पर पारित किया जाएगा. इसी प्रकार प्रथम अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचन के मात्र दो वर्ष पश्चात् लाने का उपबंध है, जिसे बढ़ाकर तीन वर्ष किया जा रहा है. अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में कतिपय संशोधन किए जाना प्रस्तावित हैं.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२४ इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १२ दिसम्बर, २०२४.

कैलाश विजयवर्गीय
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

१. राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका परिषद तथा नगर परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, १९६१ की धारा ५५ में संशोधन करके साधारण निर्वाचन के पश्चात् धारा ५५ में दिये गये प्रावधान अनुसार पार्षदों द्वारा निर्वाचित किये जाने के लिए प्रथम सम्मेलन में निर्वाचन को प्रावधानित करने के उद्देश्य से अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसके आधार पर वर्ष-२०२२ में नगरपालिका तथा नगर परिषदों के अध्यक्ष का निर्वाचन साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मेलन में किया गया था.

२. नगरपालिका तथा नगर परिषद में अध्यक्ष का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. अध्यक्ष को निष्पक्ष एवं बिना दबाव के कार्य करने हेतु अविश्वास संबंधी प्रावधान में दो तिहाई बहुमत के स्थान पर तीन चौथाई बहुमत संबंधी प्रावधान किया जाना आवश्यक था. साथ ही अविश्वास प्रस्ताव को दो वर्ष उपरांत लाये जाने के स्थान पर तीन वर्ष किया जाना भी आवश्यक था.

३. चूँकि मामला अत्यावश्यक था और विधानसभा का सत्र चालू नहीं था. अतः इस प्रयोजन के लिए म.प्र. नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश २०२४ प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२४ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) से उद्धरण.

* * * *

धारा ४३- क अध्यक्ष/उपाध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव :

(१) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपधारा (२) के अधीन उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए सम्मिलन में निर्वाचित किसी पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और यदि प्रस्ताव सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाये और यदि ऐसा बहुमत उस समय परिषद् का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जायेगा. ऐसे प्रस्ताव की एक प्रति मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा कलेक्टर को तत्काल रिक्ति को भरने के लिए भेजी जायेगी :

परन्तु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध ऐसा कोई प्रस्ताव :-

(एक) उस तारीख से जिससे की अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करे दो वर्ष की कालावधि के भीतर

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.